कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल उमरिया (म.प्र.) 484661

Phone - 07653-222217, - 9424794505 E-mail -dfotumaria@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2021 / 1614 उमरिया, दिनांक / 17/05/21

प्रति,

महा प्रबंधक
मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित,
परियोजना क्रियान्वयन ईकाई शहडोल (म0प्र0)

विषयः— उमरिया जिले में करनपुरा ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.841 हे0 (आनलाईन आवेदित 0.992 हे0) वनभूमि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित शहडोल को उपयोग पर देने बावत्। प्रकरण क्रमांक (FP/MP/WATER/39770/2019)

संदर्भ :— 1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्र0 6—MPB024/2021-BHO/264 दिनांक 26.03.2021
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) म0प्र0, भोपाल के पत्र क्र0 / एफ—5 / 960 / 2020 / 10—11 / 1200 दिनांक 27.03.2021

विषयान्तर्गत, संदर्भित पत्र की प्रति आपको भी पृष्ठांकित हैं, सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न हैं का अवलोकन करे। जिसके अन्तर्गत प्रकरण में प्रथम सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई हैं।

उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित विशिष्ट शर्त क्र0—05 एवं 06 के पालन में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि रूपये 35,24,700 (पैतीस लाख चौबीस हजार सात सौ रूपये मात्र) ई—पोर्टल के माध्यम से आनलाईन कैम्पा मद में जमा कर बैंक स्टेटमेंन्ट, जमा रसीद UTR नम्बर सहित प्रस्तुत करे।

विशिष्ट शर्त क्र0—7(a) के पालन में नेट प्रेजेन्ट वैल्यू की राशि रूपये 6,75,323 (छः लाख पचहत्तर हजार तीन सौ तेईस रूपये मात्र) ई—पोर्टल के माध्यम से आनलाइन कैम्पा मद में जमा कर बैंक स्टेटमेंन्ट, जमा रसीद UTR नम्बर सहित प्रस्तुत करे।

विशिष्ट शर्त क्र0—7(b) के पालन में यदि भारत सरकार / राज्य शासन द्वारा भविष्य में नेट प्रेजेन्ट वैल्यू की राशि अतिरिक्त निर्धारित करती हैं तो आवेदक संस्था अतिरिक्त राशि को जमा करने हेतु वचनबद्ध रहेंगे इस बावत् वचनपत्र 2 प्रतियो में प्रस्तुत करे।

विशिष्ट शर्त क्र0—08 के पालन में 290 वृक्षो के विदोहन की राशि 11,15,500 रूपये (ग्यारह लाख पन्द्रह हजार पांच सौ रूपये) का डी.डी. अद्योहस्ताक्षरकर्ता के नाम से प्रस्तुत करे।

अधिरोपित विशिष्ट शर्त क्र0—09 के पालन में प्रस्तावित वनभूमि बाँधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया के ईको—सेंसिटिव जोन में होने के कारण CWLW का अभिमत / अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत करे।

सामान्य शर्त क्र0—17 के पालन में भारत सरकार द्वारा जारी प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन वेब पोर्टल पर अपलोड करे।

स्वीकृति में अधिरोपित विशिष्ट शर्त क्र0—1 से 13 तक एवं सामान्य शर्त क्र0—1 से 17 तक, समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन साफ्ट कापी एवं हार्ड कापी में, वचन—पत्र 2—2 प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जा सके।

संलग्न — उपरोक्तानुसार।

(मोहित सूद)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल उमरिया (म.प्र.)

पृ0क्रमांक / मा0चि0 / 2021 / 1615 उमरिया, दिनांक / 17/05/21

प्रतिलिपिः—1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू—प्रबंध) भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त शहडोल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल उमरिया (म.प्र.)